2/7/18

पत्रा० पेश हुई। अपी० एवं उनके अभिभाषक उप० नहीं है।
रेस्पो० भी अनु० है। अपी० व उनके अभिभाषक को 2-3
बार आवाज दिलाई गई लेकिन कोई उप० नहीं हुये, अपील
लंच उपरान्त के पूर्व पुनः आवाज दिलाई गई, लेकिन कोई
उप० नहीं हुवे। अतः अपील अपीलान्ट अदम हाजिरी अदम पैरवी
अपीलान्ट के खारिज की जाती है। निर्णय सुनाया ओपन कोर्ट तामील
तकमील आदेश दफ्तर हो।

कोटा संभाग, कोटा

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा